

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठारसीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या मु.न. 04/2025

पवन जोशी वगैरह बनाम महावीर वगैरह
प्रार्थना पत्र इन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ. 39 नियम 1 व 2 तथा 151
सीपीसी

दिनांक:- 13.05.2025

सक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त उनवानी दावा न्यायालय श्रीमान में बाजाप्ता प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूरी-पूरी आशा है। तहसील मण्डावा में जमीन खसरा नम्बर 154 तादादी 1.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 155 तादादी 1.55 हैक्टर कुल किता 2 रकवा 2.68 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा स्थित है। यह जमीन पुराना खसरा नम्बर 66/1 तादादी 5 बीघा 5 विश्वा व खसरा नम्बर 66/2 तादादी 5 बीघा 7 विश्वा कुल किता 2 रकवा 10 बीघा 12 विश्वा वाके ग्राम मण्डावा से बनी है। जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड मिसल हकियत सम्वत 1998 का अवलोकन किया जावे तो जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र के पुराने मूल खसरा नम्बर 66 रकवा 10 बीघा 12 विश्वा की किरम जाहड़ व चौब दर्ज है। इस जमीन की जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 तक का अवलोकन किया जाव तो यह जमीन गोदुराम पुत्र मालाराम चमार की गैर खातेदारी में दर्ज की जाकर इस जमीन की किरम उक्त अनुसार जाहड़ व चौब दर्शाई गई है। उसके बाद इसी जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 930 का अंकन करते हुये इस जमीन को उक्त गोदुराम के पुत्र केशर के नाम से उसी प्रकार दर्ज है। इस जमाबन्दी में उक्त केशर की मृत्यु होने पर इस जमीन के बाबत नामान्तरकरण संख्या 993 का हवाला अंकित करते हुये जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 के कालम नम्बर 16 में यह भूमि केशर के बाद उसकी पत्नी गोदावरी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख किया हुआ है तत्पश्चात तत्कालीन तहसील झुन्डुनू जिसमें से ही मण्डावा तहसील बनी है, में पैमाईश का काम शुरू हो गया। बन्दोबस्त के दौरान मिसल खतौनी सम्वत 2044 से 2060 में विवादित जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र गोदावरी वेवा केशर की गैर खातेदारी में दर्ज हुई जो अब तक इसी प्रकार लगातार दर्ज बली आ रही थी। उक्त अनुसार इस जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र की उक्त गोदावरी स्त्री केशर देवी इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज रही व काबिज रही। उक्त केशर व गोदावरी के कोईपुत्रीही थी इस दम्पति ने कभी किसी की गीर लिया। उक्त गोदावरी ने अपनी गैर खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वादीगण के पिता स्व प्रहलादराय को 20,000/- रुपये प्रतिफल राशि में विक्रय कर इस आशय का ईकरारनामा क्रेता उक्त प्रहलादराय के हक में तहरीर तकमील करवाकर दिनांक 2.1.1984 को नोटेरी पब्लिक झुन्डुनू से गवाहान के समक्ष अपनी अंगूठा निशानी कर तस्दीक करवा दिया। विवादित जमीन के प्रतिफल पेटे सम्पूर्ण राशि क्रेता से प्राप्त कर इस जमीन का भौतिक कब्जा प्रार्थीगण के पिता उक्त प्रहलादराय का करवा दिया। इस जमीन को पहले उक्त प्रहलादराय काश्त करता रहा व काबिज रहा तथा उनके देहान्त के बाद उसका पुत्र प्रार्थी नं. 1 व उनकी पत्नी श्रीमती संतरा देवी प्रार्थी नं. 2 इस भूमि पर काबिज है व काश्त करते हैं। इस भूमि में इस भूमि के क्रेता उक्त प्रहलादराय के समय से ही एक कमरा का निर्माण करवाया हुआ है जिसमें कृषि काश्त करने के औजार आदि समान रखा जाता है। इस प्रकार उक्त अनुसार करीब चालीस वर्षों से लगातार बिना किसी प्रकार की रोक टोक के प्रार्थीगण विवादित जमीन को काश्त करते आ रहे हैं, व काबिज है। उक्त गोदावरी की मृत्यु हुये भी काफी साल हो गये। अप्रार्थी नं. 1 उक्त केशर व उसकी पत्नी उक्त गोदावरी का पुत्र नहीं है जो तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि गोदावरी के पति उक्त केशर के मरने पर विवादित जमीन का नामान्तरकरण उसकी पत्नी गोदावरी के अकेली के नाम से तस्दीक किया जाकर इस विवादितभूमि का राजस्व रिकॉर्ड उक्त गोदावरी के अकेली के नाम से ही दर्ज किया जाकर तस्दीक हुआ। यदि अपार्थीनं उक्त केशर का पुत्र होता तो इस जमीन के बाबत नामान्तरकरण अकेली गोदावरी के बजाय मां-बेटे दोनों के नाम से तस्दीक किया जाकर इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गोदावरी के साथ-साथ अपार्थी नं. 1 का नाम भी दर्ज होता। असल में आधार्थी नं. 1 गोदावरी के पति केशर के भाई कुरडाराम का पुत्र है। अपार्थी नं. 1 का यह भी कथन नहीं है कि उसे कभी केशर अथवा गोदावरी या दोनों ने अपार्थी नं. 1 को गोद लिया हो। उक्त सभी तथ्यों के बावजूद अपार्थी नं. 1 ने नगरपालिका मण्डावा के कर्मचारियों व अधिकारियों से सजिज कर उक्त गोदावरी का पुत्र होने बाबत कोई दस्तावेज कूटरचित करवाकर उसके आधार पर गोदावरी के द्वारा करीब 40 साल पूर्व उक्त अनुसार प्रार्थीगण के पिता उक्त प्रहलादराय को विक्रय की हुई जमीन का राजस्व रिकॉर्ड उक्त गोदावरी के नाम से दर्ज चले आने का नाजायज फायदा उठाने के लिए अपने आपको गलत रूप से उक्त केशर का पुत्र होना बतलाकर विवादित जमीन का नामान्तरकरण संख्या 2514 दिनांक 10.10.2024 को अपने नाम से दर्ज करवाकर अपार्थी नं. 2 से तस्दीक करवाकर तुरन्त ही उसके बाबत इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा लिया जबकि अपार्थी नं. 1 न

मण्डावा उपखण्ड अधिकारी

तो केशर व गोदावरी का पुत्र है व न कभी इनके साथ इनके पुत्र के रूप में रहते हुये देखा गया। उक्त अनुसार बिना किसी आधार के विवादित जमीन के बाबत गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज करवाकर उसके आधार पर इस भूमि की जमाबन्दी गे बतौर खातेदार अपना नाम गलत दर्ज करवाकर दिनांक 15.12.2024 को प्रार्थीगण को इस विवादित जमीनपर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देते हुये इस जमीन के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी। इस प्रार्थीगण ने इस जमीन की जमाबन्दी निकलवाई तो उसमे अप्रार्थी नं. 1 का नाम उक्त केशर का पुत्र होना अंकित करते हुये उसके नाम से दर्ज होना पाया। इस प्रकार विवादित जमीन की पूर्व खातेदार असुचित जाति से होने से इस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण के नाम से दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण को विवादित जमीन से बिना विधिक कार्यवाही अपनाए वेदखल करने पर उतारू हो रहा है। जबकि विवादित जमीन का पुराना समस्त रिकॉर्ड जैसे उक्त केशर के नाम से जारी की गई पासबुक दिनांक 23.11.1976 इस जमीन के पेटे भूतपूर्व ठिकाना व राज्य सरकार को अदा किये गये लगान की रसीदे, गिरदावरी रसीदे आदि समस्त असल दस्तावेजात उक्त गोदावरी द्वारा प्रार्थीगण के पिता स्व. प्रहलादराय के सुपुर्द किये गये थे जो समस्त दस्तावेजात प्रार्थीगण के पास मौजूद है। अप्रार्थी नं. 1 उक्त केशर व गोदावरी का पुत्र नहीं होने से उसका इस जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है, न उसका इस भूमि पर कब्जा होने का कोई प्रश्न है। अप्रार्थी नं 1 उक्त अनुसार प्रार्थीगण को विवादित जमीन में कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने की धमकियां दे रहा है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हकूको की रक्षार्थ यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का बहुत ही स्ट्रॉंग प्राईमा फेंसी केश है तथा मामला अर्जेन्ट नेचर का है विवादित जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण का गत करीब 40 साल से लगातार बिना किसी प्रकार की रूकावट के कब्जा काश्त है। इसलिए सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में है यदि अप्रार्थीगण बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएँ जबरन पूर्वक को विवादित जमीन दखल कर माधीगण के उपयोग उपभोग बाबाले ती प्रार्थीगण को इसमें अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरे नगद से भी नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया आना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कि अप्रार्थीगण दौराने दावा विवादित जमीन खसरा नम्बर 154 तादादी 1.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 155 तादादी 1.55 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 2.68 हैक्टर वाके मण्डावा से बलपूर्वक बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वेदखल नहीं करे, गलत राजस्व रिकॉर्डकी आड़ में इस जमीन को रहन, बय नहीं करे, गैर खातेदारी से खातेदारी में न करे व प्रार्थीगण के लगातार उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं डाले।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि 1. यह कि धारा संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थीगण ने उक्त दावा गलत आधारों पर पेश किया है जिस वजह से उसे इस दावे में सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। यह कि धारा संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। धारा संख्या 3 में दर्ज कथन कि धारा से 2 में दर्ज जमीन गोदुराम पुत्र मालाराम चमार व तत्पश्चात गोदुराम के पुत्र केशर व तत्पश्चात गोदावरी स्त्री केशर देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज होने व शेष कथन सही होने से स्वीकार है। धारा संख्या 4 में दर्ज कथन कि धारा से 2 में दर्ज जमीन गोदावरी स्त्री केशर देवी के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज होने व काबिज होने का कथन सही होने से स्वीकार है तथा शेष कथन गलत व मनघडंत होने से अस्वीकार है। विस्तृत उत्तर अतिरिक्त कथन अनुसार है। यह कि धारा संख्या 5 में प्रार्थीगण का कथन कि महावीर केशर व गोदावरी का पुत्र नहीं है निराधार होने से अस्वीकार है तथा दिनांक 15-12-2024 को प्रार्थीगण को बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने का कथन भी गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने यहाँ स्वयं दिनांक 23-11-1976 को जारी पासबुक आदि के केशर के नाम से होने का कथन किया है जो अप्रार्थी सं 1 महावीर का पिता है जो प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत के अप्रार्थी सं 1 के पिता की होने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। शेष कथन जिसमें अप्रार्थी सं 1 द्वारा प्रार्थीगण को कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने की धमकियां देना आदि कथन मनघडंत होने से अस्वीकार हैं। विस्तृत उत्तर अतिरिक्त कथन अनुसार है। 6. यह कि धारा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं 1 की जमीन पर कोई कब्जा नहीं है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में नहीं है व प्रार्थीगण को अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति को कब्जाने का अधिकार करने का, क्रय करने का कोई विधिक अधिकार भी नहीं है। विस्तृत उत्तर अतिरिक्त कथन अनुसार है। यह कि धारा संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति को कब्जाने का, अधिकार करने का, क्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से अप्रार्थी सं 1 व 2 को कोई वादकारण ही नहीं पैदा होता, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का हक व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जावे या नहीं इसका कोई अस्तित्व ही प्रार्थीगण की हद तक पैदा नहीं होता।

323

विस्तृत उत्तर अतिरिक्त कथन अनुसार है। धारा संख्या 8 कानूनी होने से जवाब की गोहताज नहीं है। अतिरिक्त कथन:- यह कि उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 154 रकबा 1.3300 व खसरा संख्या 155 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 66/1 व 66/2 हैं जो जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 के अन्तर्गत कि प्रविष्टी क्रम संख्या 919 में गोदू पुत्र मालाराम चमार सा गैर खातेदार के नाम दर्ज रही। यह थी तथा 02-06-1976 को गोदू पुत्र माला के फौत होने पर गोपी पुत्र गोदू कौम चमार के नाम सा गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई तथा आगे प्रविष्टी क्रम संख्या 930 पर गोपी पुत्र गोदू कौम चमार के नाम सा गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त गोपी पुत्र गोदू कौम चमार के नाम 21/08/1976-77 को केशर पुत्र गोगा मोची के नाम दर्ज उक्त 2.6800 है० रकबा भूमि का बेचान दिनांक यह कि प्रविष्टी क्रम संख्या 993 में केशर पुत्र गोगाराम मोची के नाम हस्तांतरण जरिये इन्तकाल कर दिया गया। गोगाराम मोची के फौत होने के पश्चात् दिनांक 11-06-1982 को उनकी पत्नी श्रीमती गोदावरी बेवा केशरमोची के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया जो खाता संख्या 676 में दर्ज है। उपरोक्त आराजियत जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 के अन्तर्गत खसरा संख्या 630 के अन्तर्गत गोदावरी बेवा केशर मोची सा गैर खातेदार के नाम दर्ज रही। यह कि जो जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 के खाता संख्या 677 में भी श्रीमती गोदावरी बेवा केशर मोची के नाम दर्ज है। यह कि जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 के खाता संख्या 684 में भी श्रीमती गोदावरी बेवा केशर मोची के नाम दर्ज है तथा श्रीमती गोदावरी बेवा केशर मोची के पश्चात् उनके पुत्र प्रार्थी महावीर पुत्र केशर जाति मोची के नाम से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह कि इस तरह से उक्त आराजियत सर्वप्रथम गोदुराम पुत्र मालाराम चमार व तत्पश्चात् गोदुराम के पुत्र केशर व तत्पश्चात् गोदावरी स्त्री केशर देवी व तत्पश्चात् गोदावरी व केशर के पुत्र महावीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज रही है जो सही व सत्य है तथा प्रारंभ से हाल दिनांक तक इन्हीं का क्रम से उक्त भूमि पर कब्जा व राजस्व रिकॉर्ड कायम है। यह कि गोदावरी का अपनी गैर खातेदारी की उक्त जमीन को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व० प्रह्लादराय को 20,000/- रुपये प्रतिफल राशी में विक्रय कर इस आशय का इकरारनामा क्रेता उक्त स्व० प्रह्लादराय के हक में तहरीर तकमील करवाकर दिनांक 02-01-1984 को नोटेरी पब्लिक झुन्डुनू से गवाहान के समक्ष अपनी अंगूठा निशानी कर तस्दीक करवा देने का कथन अविधिक होने से भी यह आदेश दिनांकित 23-01-2025 इसी स्तर पर अपास्त होने योग्य है क्योंकि सर्वप्रथम तो एक अनुसूचित जाति जनजाति की खातेदारी / गैर खातेदारी की भूमि किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होती व ऐसा हस्तांतरण प्रारंभ से शून्य होने की वजह से अवैध है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण को रद्द करवाने, अपने बताये अनुसार दिनांक 02-01-1984 को किये गये इकरारनामे को लागू करवाने बाबत सम्बंधित न्यायालय / सक्षम सिविल न्यायालय में वाद लाना था जिसके अभाव में भी उक्त दावा व प्रार्थना पत्र (05/2025 व 04/2025) क्षेत्राधिकार के अभाव में भी उक्त आदेश दिनांकित 23-01-2025 इसी स्तर पर अपास्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हित, सरोकार, खातेदारी, राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे आदि का दूर-दूर तक कोई लेनादेना नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण ने माननीय अदालत को मुगालते में रख अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि को नाजायज रूप से सवर्ण जाति के भूमाफिया किरम के लोगों को हडपने में मदद करने की नियत से दिनांक 23-01-2025 को उक्त एकपक्षीय आदेश पारित करवा लिया है जो इसी स्तर पर अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी से 1 महावीर अपनी गैर खातेदारी की भूमि को खातेदारी में रूपांतरित करवाने हेतु तहसील कार्यालय गया हुआ था तब अप्रार्थी से 1 ने जमाबंदी निकलवाई जहाँ उसे उक्त स्थगन आदेश दिनांकित 23-01-2025 का पता चला जबकि प्रार्थीगण को दिनांकित 23-01-2025 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में आदेश 39 नियम (3) सीपीसी की पालना सुनिश्चित करवानी थी जिसके अभाव में भी उक्त आदेश दिनांकित 23-01-2025 स्वतः ही अपास्त हो जाता है। अतः प्रार्थी/ अप्रार्थीगण सं 1 महावीर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को गलत, अविधिक व मनघडंत आधारों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण मय भारी हर्जे- खर्जे के इसी स्तर पर खरिज किया जावे व माननीय न्यायालय को मुगालते में रख गलत आधारों पर पारित करवाए गये एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांकित 23-01-2025 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर वहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित वहस पेश कि प्रार्थी अप्रार्थीगण से। महावीर की ओर से प्रार्थना पत्र अरथाई निपेधाजा की लिखित वहस निम्नलिखित पेश है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 154 रकबा 1.3300 व खसरा संख्या 155 रकबा 13500 है० भूमि स्थित है जो कुल खसरे 2 व रकबा 2.6800 है० जिसके गत खसरा संख्या मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 66/1 व 66/2 हैं जो जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 के अन्तर्गत खसरा संख्या 592 के अन्तर्गत गोदू राम पुत्र मालाराम चमार सा गैर खातेदार के नाम दर्ज रही है। जमाबंदी की प्रविष्टी क्रम संख्या 919 में गोदू पुत्र माला, कौम चमार के नाम सा गैर

खातेदार के नाम से दर्ज थी तथा 02-06-1976 को गोद पुत्र माला के फौत होने पर गोपी पुत्र गोदू, वीम चमार के नाम सा. गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई तथा आगे प्रविष्टी क्रम संख्या 930 पर गोपी पुत्र गोदू, वीम चमार के नाम सा. गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई। तत्पश्चात उक्त गोपी पुत्र गोदू, वीम चमार के नाम सा. गैर खातेदार द्वारा अपने नाम दर्ज उक्त 2.6800 हे० रकबा भूमि का बेघाम दिनांक 21/08/1976-77 को केशर पुत्र गोगा गोची के नाम हस्तांतरण जरिये इन्तकाल कर दिया गया। जमाबंदी की प्रविष्टी क्रम संख्या 993 में केशर पुत्र गोगाराम गोची के नाम दर्ज थी तथा केशर पुत्र गोगाराम गोची के फौत होने के पश्चात दिनांक 11-06-1982 को उनकी पत्नी श्रीमती गोदावरी बेवा केशर गोची के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया जो खाता संख्या 676 में दर्ज है। यह कि उपरोक्त आराजियत जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 के अन्तर्गत खसरा संख्या 630 के अन्तर्गत गोदावरी बेवा केशर गोची सा. गैर खातेदार के नाम दर्ज रही। यह कि जो जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 के खाता संख्या 677 में भी श्रीमती गोदावरी बेवा केशर गोची के नाम दर्ज रही है। जमाबंदी सम्वत 2065 से 2008 के खाता संख्या 684 में भी श्रीमती गोदावरी बेवा केशर गोची के नाम दर्ज चली आ रही है तथा श्रीमती गोदावरी बेवा केशर गोची के पश्चात् उनके पुत्र प्रार्थी महावीर पुत्र केशर जाति- गोची के नाम से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। इस तरह से उक्त आराजियत सर्वप्रथम गोदुराम पुत्र मालाराम चमार व तत्पश्चात गोदुराम के पुत्र केशर व तत्पश्चात गोदावरी स्त्री केशर देवी व तत्पश्चात गोदावरी व केशर के पुत्र महावीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज रही है जो सही व सत्य है तथा प्रारंभ से हाल दिनांक तक इन्हीं का क्रम से उक्त भूमि पर कब्जा व राजस्व रिकॉर्ड कायम है। गोदावरी का अपनी गैर खातेदारी की उक्त जमीन को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व० प्रह्लादराय को 20,000/- रुपये प्रतिफल राशी में विक्रय कर इस आशय का इकरारनामा क्रेता उक्त स्व० प्रह्लादराय के हक में तहरीर तकमिल करवाकर दिनांक 02-01-1984 को नोटेरी पब्लिक शुन्नु से गवाहान के समक्ष अपनी अंगूठा निशानी कर तस्दीक करवा देने का कथन अविधिक होने से भी यह आदेश दिनांकित 23-01-2025 इसी स्तर पर अपास्त होने योग्य है क्योंकि सर्वप्रथम तो एक अनुसूचित जाति जनजाति की खातेदारी/ गैर खातेदारी की भूमि किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होती व ऐसा हस्तांतरण प्रारंभ से शून्य होने की वजह से अवैध है तथा उक्त कथाकथित विक्रय पत्र रजिस्टर्ड भी नहीं होने से अवैध है। प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण को रद्द करवाने, अपने बत्ताये अनुसार दिनांक 02-01-1984 को किये गये इकरारनामे को लागू करवाने वावत सम्बंधित न्यायालय / सक्षम सिविल न्यायालय में वाद लाना था जिसके अभाव में भी उक्त दावा व प्रार्थना पत्र (05/2025 व 04/2025) क्षेत्राधिकार के अभाव में भी उक्त आदेश दिनांकित 23-01-2025 इसी स्तर पर अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हित, सरोकार, खातेदारी, राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे आदि का दूर-दूर तक कोई लेनादेना नहीं है फिर भी प्रार्थीगण ने माननीय अदालत को मुगालते में रख अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की सातेदारी की भूमि को नाजायज रूप से सवर्ण जाति के भूमालिया किरम के लोगों को हडपने में मदद करने की नियत से दिनांक 23-01-2025 को उक्त एकपक्षीय आदेशा पारित करवा लिया है जो इसी स्तर पर अपास्त किये जाने योग्य है। अपनी गैर खातेदारी की भूमि को खातेदारी में रूपांतरित करवाने हेतु तहसील कार्यालय गया हुआ था तब अप्रार्थी से 1 ने जमाबंदी निकलवाई जहाँ उसे उक्त स्थगन आदेश दिनांकित 23-01-2025 का पता चला जबकि प्रार्थीगण को दिनांकित 23-01-2025 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में आदेश 39 नियम (3) सीपीसी की पालना सुनिश्चित करवानी थी जिसके अभाव में भी उक्त आदेश दिनांकित 23-01-2025 स्वत ही अपास्त हो जाता है। प्रार्थीगण का कथन कि महावीर केशर व गोदावरी का पुत्र नहीं है निराधार व मनघडंत है तथा दिनांक 15-12-2024 को प्रार्थीगण को बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने का कथन भी गलत व निराधार है। प्रार्थीगण ने यहाँ स्वयं दिनांक 23-11-1976 को जारी पासबुक आदि के केशर के नाम से होने का कथन किया है जो अप्रार्थी से 1 महावीर का पिता है जो प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत के अप्रार्थी से 1 के पिता की होने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। उक्त वादीगण ने गोदावरी के जीवित रहते उक्त अवैध विक्रयपत्र व लिखावट दिनांकित 02-01-1984 की पालना हेतु हाल दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही वादीगण का उक्त भूमि में कभी कोई कब्जा ही रहा है। इसलिए कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में भी वादीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही सुविधा का संतुलन व क्षतिपूर्ति का बिंदु ही वादीगण के पक्ष में तय होता है। प्रार्थीगण को अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति को कब्जाने का, अधिकार करने का, अधिकार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से वादीगण को कोई वाङ्कारण ही नहीं पैदा होता। प्रार्थीगण को अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति को कब्जाने का, अधिकार करने का, अधिकार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से वादीगण को कोई वाङ्कारण ही नहीं पैदा होता। प्रार्थीगण सं 1 महावीर पुत्र केशर की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को गलत, निराधार व मनघडंत आधारों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण मय भारी हर्ज खर्ज के इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस का जवाब पेश किया किया कि 1. तहसील मण्डावा में जमीन खसरा नम्बर 154 तादादी 1.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 155 तादादी 1.55 हैक्टर कुल कित्ता 2 रकबा 268 हैक्टर वाके ग्राम मण्डावा स्थित है जो जमीन पुराना खसरा नम्बर 66/1 तादादी 5

वीघा 5 विश्वा व खसरा नम्बर 66/2 तादादी 5 वीघा 7 विश्वा कुल कित्ता 2 रकबा 10 वीघा 12 विश्वा वाके ग्राम मण्डावा से बनी है जिसका मूल पुराना खसरा नम्बर 66 तादादी 10 वीघा 12 विश्वा किश्म जोहड़ इस भूमि की मिराल हकियत सम्वत् 1998 में दर्ज है। इस जमीन की जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 3035 तक के अवलोकन से यह भूमि गोदूराम पुत्र मालाराम की गैरखातेदारी में दर्ज की जाकर इस भूमि की किश्म जोहड़ दर्ज हैं। गोदूराम की मृत्यु के बाद यह जमीन, जरिये नातान्तरकरण संख्या 930 का अंकन करते हुये इस जमीन को उक्त गोदूराम के पुत्र केशर के नाम से दर्ज किया गया है। इसी जमाबन्दी में केशर की मृत्यु होने पर इस जमीन के बाबत नामान्तरकरण संख्या 993 के बाबत हवाला अंकित करते हुये जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के कोलम नम्बर 16 में यह भूमि केशर के बाद उसकी पत्नी गोदावरी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। तत्पश्चात पैमाईश का कार्य शुरु होने पर बन्दोबस्त के दौरान मिसल खतौनी सम्वत् 2044 से 2060 में यह जमीन गोदावरी बेवा केशर की गैर खातेदारी में दर्ज हुई तब से इसी प्रकार गोदावरी के नाम से दर्ज चली आ रही है। इस जमीन की गैर खातेदार उक्त गोदावरी के कोई पुत्र या पुत्री सन्तान नहीं थी न इस दम्पति ने कभी अप्रार्थी नं. 1 अथवा अन्य किसी को गोद लिया। उक्त गोदावरी ने अपनी गैर खातेदारी की भूमि को अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थी नं. 1 के पिता व प्रार्थी नं. 2 के पति प्रहलादराय को 20,000/- रूपयें प्रतिफल राशि में विक्रय कर दिया व इस आशय का ईकरारनामा विक्रय दिनांक 02.01.1984 को तहरीर तकमील करवाकर गवाहान के समक्ष अपनी अंगूठा निशानी कर नोटेरी पब्लिक झुन्डुनू से तस्दीक करवा दिया व विवादित जमीन की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर इस जमीन का भौतिक कब्जा प्रार्थीगण के पिता व पति उक्त प्रहलादराय का करवा दिया। इस जमीन को सन् 1984 से पहले प्रहलादराय काशत करता था काबिज रहा तथा उनका देहान्त हो जाने के बाद इस जमीन पर उनका पुत्र प्रार्थी नं. 1 व उनकी पत्नी प्रार्थी नं. 2 काबिज है व काशत करते हैं। इस जमीन को उक्त अनुसार प्रहलादराय ने क्रय करने के बाद उसमें एक कमरा का निर्माण करवाया हुआ है जिसमें कृषि काशत आदि करने के औजार आदि सामान रखा हुआ है। इस प्रकार करीब 40 वर्षों से इस भूमि पर पहले उक्त प्रहलादराय का व उनकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रार्थीगण बिना किसी प्रकार की रोक-टोक के काबिज रहते हुये काशत करते आ रहे हैं। जमीन की पासबुक आदि सभी दस्तावेज प्रार्थीगण के पास मौजूद है। यह कि उक्त गोदावरी उसके पति केशर के कोई पुत्र संतान नहीं हुई जो इस वास्तविक तस्य प्रमाणित होता है कि गोदावरी के पति उक्त केशर के मरने पर विवादित जमीन का नामान्तरकरण उसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी गोदावरी के अकेली के नाम से तस्दीक किया जाकर इस भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अकेली उक्त गोदावरी के नाम से दर्ज चलता आ रहा है। अप्रार्थी नं. 1 उक्त केशर व उसकी पत्नी गोदावरी का पुत्र होने का कथन करता है, परन्तु उक्त केशर के मरने के बाद उक्त गोदावरी के अकेली के नाम से विवादित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर उसी आधार पर इस भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि करीब 27 सालों तक किस प्रकार चलता रहा तथा इस अवधि के दौरान अप्रार्थी नं. 1 ने उक्त राजस्व रिकॉर्ड को कभी कही चुनौती भी नहीं दी। अप्रार्थी नं. 1 उक्त केशर व गोदावरी का दत्तक पुत्र होना न तो स्वयं क्लेम करता व न उनके द्वारा कभी उसे गोद लेने का अभिकथन ही किया है। यह कि उक्त सभी तथ्यों के बावजूद अप्रार्थी नं. 1 ने नगरपालिका मण्डावा के कर्मचारियों व अधिकारियों से साजिश कर उक्त गोदावरी का पुत्र होने बाबत कोई दस्तावेज कूटरचित करवा कर उसके आधार पर गोदावरी के द्वारा करीब 40 वर्ष पूर्व उक्त अनुसार प्रार्थीगण के पिता उक्त प्रहलादराय को विक्रय की हुई विवादित जमीन का राजस्व रिकॉर्ड उक्त गोदावरी के नाम से दर्ज चले आने का नाजायज फायदा उठाने के लिए उसने अपने आपको गलत रूप से उक्त केशर का पुत्र होना बतलाकर विवादित जमीन के बाबत एक नामान्तरकरण संख्या 2514 दिनांक 10.10.2024 को अपने नाम से दर्ज करवाकर अप्रार्थी नं. 2 से तस्दीक करवा कर तुरन्त ही उसके बाबत इस भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा लिया। जबकि अप्रार्थी नं. 1 उक्त अनुसार न तो केशर मोदी की इस इनकी पुत्र के रूप में रहते हुये देखा गया। उक्त अनुसार बिना किसी आधार के विवादित जमीन के बाबत गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज करवा कर उसके आधार पर इस भूमि की जमाबन्दी में बतौर गैरखातेदार अपना नाम गलत दर्ज करवा कर दिनांक 15.12.2024 को माधीगण को विवादित जमीन पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देते हुये इस जमीन के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी व इस भूमि को उसके नाम से उक्त अनुसार दर्ज गलत रिकॉर्ड के आधार पर भूमिगत व्यक्तियों को बेचने की तथा किसी बैंक आदि वित्तिय संस्थान से ऋण लेकर विवादित जमीन को खुरद-बुरद करने की धमकी दी, जिस पर प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दावा प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् से विधिनुसार विवादित जमीन के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करवाया तथा आदेश 39(3) जा.दी. की पालना करते हुये अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस जरिये डाक रजिस्टर्ड/एडी भिजवाये गये जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके तथा अप्रार्थीगण नं. 1 की ओर से श्री रविन्द्र लाम्बा, एडवोकेट झुन्डुनू ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस की नकल प्रार्थीगण के वकील को दी गई। अप्रार्थी नं. 2 के

22
 जमीन
 मण्डावा

बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से दिनांक 17.04.2025 को ही अप्रार्थी नं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाई जा चुकी है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निपेधाज्ञा में अप्रार्थी नं. 1 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये साथ ही लिखित बहस भी न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत की गई। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से भी लिखित बहस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यह कि लिखित बहस का अवलोकन किया जाये तो विवादित जमीन केशर की गैर खातेदारी में दर्ज होना नामान्तरकरण संख्या 676 दर्ज होना स्वीकार किया है। अप्रार्थी नं. 1 की आयु करीब 58 वर्ष है। इस हिसाब से सन् 1982 में अप्रार्थी की आयु करीब 16-17 वर्ष रही। ऐसी स्थिति में केशर की फौतगी पर जब अप्रार्थी नं. 9 उक्त केशर का पुत्र होने का कथन करता है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी नं. 1 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि सन् 1982 में विवादित जमीन का नामान्तरकरण मृतक की पत्नी गोदावरी के नाम से किस प्रकार व क्यों दर्ज हुआ। एक अन्य तथ्य यह भी है कि उक्त गोदावरी की मृत्यु सन् 1997 में होना अप्रार्थीगण नं. 1 ने स्वीकार किया है परन्तु यह भी स्पष्ट नहीं किया की गोदावरी की मृत्यु सन् 1997 में होने के बाद सन् 2004 तक करीब 27 वर्ष की लम्बी अवधि तक अप्रार्थी नं. 1 ने विवादित जमीन के बावत नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही क्यों नहीं की जबकि अप्रार्थी नं. 1 विवादित जमीन पर काबिज होने व इस जमीन का उपयोग उपभोग करने का भी मिथ्या कथन करता है न अप्रार्थी नं. 1 ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि इस जमीन की गैर खातेदारी गोदावरी का जब वह पुत्र बनता है तो उसने इतनी लम्बी अवधि तक अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवाकर इस जमीन के राजस्व अभिलेख जमावन्दी अन्य में गोदावरी के नाम के स्थान पर अपने स्वयं के नाम से दर्ज क्यों नहीं करवाया उक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी नं. 1 न तो केशर का पुत्र है व न इस विवादित जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र से उसका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होने का कोई प्रश्न है। यह कि अधाधी नं 1 ने अपनी ओर से की गई जबाबदेही व प्रस्तुत की गई लिखित बहस में विवादित जमीन को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की गैरखातेदारी में दर्ज होने से इस जमीन को किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के हक में अन्तरित कर ईकरारनामा निष्पादित नहीं करवाया जा सकता। यह प्रश्न गोदावरी अपने जीवनकाल में किसी समय उठा सकती थी परन्तु अप्रार्थी नं 9 का गोदावरी से कोई सम्बन्ध नहीं होने से अप्रार्थी नं. 9 या अन्य किसी को कानून से प्रार्थीगण के पिता व पति प्रहलादराय के हक में गोदावरी द्वारा निष्पादित करवाये ईकरारनामा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपति उठाने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अनुसूचित जाति व जनजाति की खातेदारी की जमीनों के बावत कानूनी व्यवस्था अलग है जिसका कोई लाभ अप्रार्थी नं. 1 प्राप्त नहीं कर सकता। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये दावा में ईकरारनामा दिनांक 02.01.1984 के आधार पर खातेदारी अधिकार होने बावत कोई रिलीफ नहीं चाही गई है बल्कि धारा 92ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी जमीन के खातेदार (Tenent) के अलावा अन्य व्यक्ति जो जमीन का खातेदार तो नहीं है परन्तु उस जमीन पर काबिज है, उपयोग उपभोग करता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार स्थाई निपेधाज्ञा की रिलीफ न्यायालय से विधिनुसार प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में कर सकता है। प्रार्थी / वादीगण की ओर से कानूनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो रिलीफ वादीगण न्यायालय से कानून से प्राप्त कर सकते हैं, केवल वही रिलीफ चाहते हुये वादीगण/प्रार्थीगण की आरे से दावा प्रस्तुत किया गया है तथा दावा के साथ प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निपेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया जाकर विधिनुसार कानून का व इस सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किये जाने के बादही विवादित जमीन के रिकार्ड मौका की यथास्थिति बनाये रखने का न्यायालय श्रीमानद्वारा विधिनुसार आदेश पारित किया गया है जो प्रभावी है। कि प्रकरण की उक्त परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने 2018(3) RLW (Raj.) 1988 पर कर्णसिंह बनाम भानुवाल शिक्षण संस्थान वाले मामले में अभिनिर्धारित किया कि विवादित भूमि यदि कृषि भूमि है तथा केवल मात्र साधारणतः स्थाई निपेधाज्ञा के दावों के लिए धारा 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सिविल न्यायालय में दावा बाधित है तो इस प्रकार का दावा उक्त अधिनियम की धारा 92ए के प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय को ही सुनवाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 DNJ (3) (S-C-) 927 पर रविन्द्र कृष्ण प्रवाल बनाम मनजीत कोर वाले मामले में भी अभिनिर्धारित किया कि वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उसे टाईटल प्राप्त हो जाने की प्ली ले सकता है जहां सम्पत्ति का वास्तविक मालिक का अधिकार समाप्त हो चुका है तथा सम्पत्ति का वास्तविक मालिक कानून मियाद के प्रावधानों के अनुसार कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सम्पत्ति के कब्जाधारी व्यक्ति को सम्पत्ति का टाईटल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही 2008 (1) RLW (R) (S-C-) 305 पर कृष्णा मूर्ति बनाम ओ.वी. नरसिम्हा वाले मामले में भी इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर न्यायालय के समक्ष दावा लाया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही 2004 DNJ (S-C-) 263 पर रामे गोडा बनाम एम वरादच्चा वाले मामले में भी इस

मजिस्ट्रेट
 जयपुर

प्रकार अभिनिर्धारित किया कि वादी के पास टाइटल नहीं है परन्तु यदि वादी अपना सुस्थापित (Settled Possession) कब्जा साबित करता है तो इस प्रकार के कब्जा को भी कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने 1993(3) C-C-C- 589 पर Acmtiles वनाम बी. सुदर्शन वाले मामले में अभिनिर्धारित किया कि किसी कब्जाधारी व्यक्ति को विना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2018 (2) कछ 686 पर मोहम्मद वनाम राजू खटीक वाले प्रकरण में इस प्रकार निस्तारण किया कि वादी जो सम्पत्ति पर काबिज है, उसे विना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वेदखल नहीं किया जा सकता। इसी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017(3)WLC (RaJ) 43 पर स्टेट ऑफ राजस्थान वनाम विमला वाले प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि जो व्यक्ति जिस सम्पत्ति का कब्जाधारी है, उस व्यक्ति को उसकी कब्जा शुदा सम्पत्ति से वेदखली के खिलाफ निषेधाज्ञा की रिलीफ चाह सकता है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015 (3) WLC (RaJ) 683 पर श्रीमती शारदा देवी वनाम ईकवाल सिंह वाले प्रकरण में अभिनिर्धारित किया कि यदि दावा में चाही गई रिलीफ राजस्व प्रविष्टियों के सम्बन्ध में भी है तब भी इस प्रकार की रिलीफ न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2018 (2) DNJ- (RaJ.) 671 पर कर्णसिंह वनाम भानुवाल शिक्षण संस्थान वाले प्रकरण में इस प्रकार स्टेटस को मैनटेन रखा जाना चाहिये जिससे कि प्रकरण में किसी भी प्रकार की पेचीदिगियां उत्पन्न न हों। अतः प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस मय उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि विवादित जमीन खसरा नम्बर 154 तादादी 1.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 155 तादादी 1.55 हैक्टर कुल किता रकबा 2.68 हैक्टर वाके मण्डावा से प्रार्थीगण को बलपूर्वक विना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वेदखल नहीं करें व गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में इस जमीन को रहन बंद नहीं करे व गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तित करवाने वाबत कोई कार्यवाही नही करे व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं डाले, सम्पत्ति की यथा स्थिति बनाए रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। मिसल में पेश किया गये राजस्व रिकार्ड एवं जमाबन्दी के अनुसार विवादित जमीन वर्तमान में अप्रार्थीगण रिकार्डेड गैरखातेदार है। प्रार्थीपक्ष के पास कोई रिकार्डेड गैर खातेदारी अधिकार नहीं है। प्रार्थी पक्ष वकील का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को गोदावरी से जरिये इकरारनामा दिनांक 02.01.1984 से क्रय किया है। कानून की दृष्टि में गैर खातेदारी की भूमि के विक्रय का अधिकार गैर खातेदार को नहीं है। प्रार्थी पक्ष द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेत पेश नहीं किया है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणों द्वारा पेश की गई दलीलों एवं साक्ष्य सबूतों से प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन का बिन्दु न्यायालय मत से पूर्णरूप से प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता नहीं होता है। न्यायालय हाजा के पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 को अपास्त करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनेश कुमारी)
उपर्युक्त अधिकारी, मण्डावा
मण्डावा